





फर्द अहकाम

सनाम

शालय
या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। व कुलार्थ परिच्छेद उपाय साम्प्रतिक उतिराउते उपरान्त नहीं है। दिनांक 19/12/24 को परचाह साम्प्रतिक उतिराउते में उलाह साप्तिर नहीं हुए है। पराम्ति अवसर दिए जा चुके है। अतः साम्प्रतिक उतिराउते के नी पाती है पत्रावली कास्टे व एस इंगलि हेतु दिनांक 21/12/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>	
21/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। व कुलार्थ परिच्छेद उपाय पूर्व उतिराउते की पालना से पत्रावली दिनांक 30/12/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>	
30/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। व कुलार्थ परिच्छेद उपाय पूर्व उतिराउते की पालना से पत्रावली दिनांक 4/1/25 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>	
4/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में उलाह है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/12/24 को पेश है।</p>	
13/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में उलाह है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/12/24 को पेश है।</p>	
20.12.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। नादी को आज न्यायालय से प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। सावजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी वादी के न्यायालय में हजिर नहीं भाने के कारण फावली अन्तर्गत आदेशानुसार प्रथम के तहत न्याय हाजरी न्याय वेरवी से खारिज की जाती है। पत्रावली फेरव कुमार होकर नकर ले कम होकर दाखिल इन्तर है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>	